रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012020-215416
CG-DL-E-15012020-215416

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2020/पौष 20, 1941
No. 21] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2020/ PAUSHA 20, 1941

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 23(अ).—खजूर श्रेणीकरण और चिह्ननांकन नियम, 2019, का प्रारूप, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग (I) खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 20 अगस्त 2019 को सा.का.नि. 132 (अ), दिनांक 23 अगस्त 2019 को कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्ननांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; प्रकाशित किया गया था, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।और उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 23 अगस्त, 2019 को आम जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों पर आम जनता द्वारा विनिर्दिष्ट समय में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्ननांकन) अधिनियम,1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात.-

1. **संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खजूर श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2020 है ।

(2) ये फॉयनिक्स डेक्टिलीफेरा लिन. से प्राप्त गुठली रहित खजूर और गुठली सहित खजूर पर लागू होंगे ।

(3) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो. -

(क) ''कृषि विपणन्न सलाहकार'' से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;

(ख) ''प्राधिकृत पैकर'' से ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अधीन विहित श्रेणी मानकों और प्रक्रिया के अनुसार खजूर का श्रेणीकरण करने और उसे चिह्नांकित करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया हो;

(ग) ''प्राधिकार प्रमाण पत्र'' से साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन जारी प्रमाण पत्र अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा खजूर के श्रेणीकरण और चिह्नांकन का प्राधिकार देता है;

(घ) “साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम” से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन बनाए गए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 अभिप्रेत है;

(ड) श्रेणी अभिधान चिह्न से नियम 3 में निर्दिष्ट “एगमार्क प्रतीक” अभिप्रेत है;

(च) विधिक माप विज्ञान (पैक की गई वस्तुएँ) नियम, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) के अंतर्गत बनाए गए विधिक माप विज्ञान (पैक की गई वस्तुएँ) नियम, 2011 अभिप्रेत है; तथा

(छ) “अनुसूची” से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं हैं लेकिन जिन्हें कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकण) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) और साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम या नियम में हैं।

3. **श्रेणी अभिधान चिह्न.—**श्रेणी अभिधान चिह्न में प्राधिकार प्रमाण-पत्र संख्यांक, “एगमार्क” शब्द, वस्तु का नाम और अनुसूची-I में यथारूप से दिए गए सदृश्य श्रेणी अभिधान को सम्मिलित करने वाले डिजाइन से मिलकर बना “एगमार्क प्रतीक” होगा ।

4. **श्रेणी अभिधान.—**गुठली रहित खजूर और गुठली सहित खजूर की गुणवत्ता उपदर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान वह होगा जो अनुसूची-II और अनुसूची-III क्रमश: के श्रेणी अभिधान से संबंधित मापदंड के कॉलम एक में वर्णित किया गया है।

5. **गुणवत्ता.—**इन नियमों के प्रयोजन के लिए गुठली रहित खजूर और गुठली सहित खजूर की गुणवत्ता अनुसूची-II और अनुसूची-III क्रमश: में दिए गए अनुसार होगी ।

6. **पैकिंग करने की विधि.—**(क) खजूर की पैकिंग नए, स्वच्छ और शुष्क जूट के थैलों या कपड़े के थैलों या पॉलीवोवन थैलों जिनकी आंतरिक लाइनिंग फूड ग्रेड सामग्री की होगी या बायोडिग्रेडेबल पेकजिंग सामग्री, या फूड ग्रेड के पॉलीपैकों या अन्य ऐसी किसी पैकिंग सामग्री में पैक किया जाएगा जो कृषि विपणन्न सलाहकार या साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, के नियम 11 के तहत प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित हो;

(ख) पैकेजिंग सामग्री कीट और फफूंदी के प्रभाव से मुक्त होगी और इससे उत्पाद में किसी विषाक्त पदार्थ, अवांछित गंध अथवा स्वाद का असर अथवा रंग नहीं आना चाहिए;

(ग) खजूर की पैकिंग विधिक माप विज्ञान (पैकेज की गई वस्तुएं) नियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित पैक आकारों में या कृषि विपणन सलाहकार के द्वारा अनुमोदित साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम 11 के प्रावधान के अनुसार की जाएगी;

(घ) समान लॉट/ बैच और ग्रेड के छोटे पैक आकारों की श्रेणीकृत सामग्री की पैकिंग एक मास्टर कंटेनर में की जाएगी और उस पर श्रेणी अभिधान चिह्न सहित पूरा ब्यौरा अंकित किया जाएगा;

(ड) प्रत्येक पैकेज में समान प्रकार का और समान श्रेणी अभिधान का खजूर होगा;

(च) प्रत्येक पैकेज उचित और सुरक्षित रूप से बंद और मुहरबंद किया जाएगा, ताकि उसकी सामग्री बाहर न फैल सके।

7. चिह्नांकन की पद्धति और लेबल लगाना.—(1) श्रेणी अभिधान चिह्न प्रत्येक पैकेज पर कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, के नियम 11 के अनुसार सुरक्षित रूप से चिपकाया या मुद्रित किया जाएगा।

(2) श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त प्रत्येक पैकेज पर निम्नलिखित विवरण स्पष्ट रूप से और अमिट रूप से अंकित किया जाएगा, अर्थात:-

(क) वस्तु का नाम;

(ख) श्रेणी;

(ग) किस्म (वैकल्पिक);

(घ) लॉट नबंर;

(ड.) पैकिंग की तारीख;

(च) शुद्ध भार;

(छ) पैकर का नाम और पता;

(ज) अधिकतम खुदरा मूल्य (सभी करों सहित);

(झ) ....माह.............वर्ष के पूर्व उपयोग हेतु सर्वोत्तम;

(ञ) कोई अन्य विवरण जो विधिक माप विज्ञान (पैकेज की गई वस्तुएं) नियम, या खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के तहत या अन्य कोई नियम जो उस समय पर लागू हो या अधिनियम के तहत जारी किए गए अन्य अनुदेश;

(3) पैकेजों पर चिह्नांकन के लिए प्रयोग की गई स्याही से खजूर को संदूषित न करे;

(4) प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना प्राइवेट व्यापार चिह्न या व्यापार ब्रांड चिह्नांकित करेगा परंतु वह इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित क्वालिटी से भिन्न क्वालिटी उपदर्शित नहीं करेगा।

8. **प्राधिकार प्रमाण पत्र की विशेष शर्तें.-** (i) साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, के नियम 3 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त प्रत्येक प्राधिकृत पैकर, अधिनियम के तहत जारी किए गए अन्य अनुदेश का पालन करेगा।

(ii) खजूर की गुणवता का परीक्षण करने के लिए प्राधिकृत पैकर निर्धारित मापदंडों के अनुसार या तो अपनी स्वयं की प्रयोगशाला स्थापित करेगा या किसी अनुमोदित राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या सहकारी अथवा एसोसिएशन प्रयोगशाला या ऐसी प्राइवेट वाणिज्य प्रयोगशाला के साथ संपर्क करेगा जिसका प्रबंधन सामान्य श्रेणीकरण चिह्नांकन नियम, के नियम 9 के अनुसार कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित योग्य रसायनज्ञ द्वारा किया जा रहा हो;

(iii) परिसरों को समुचित संवातन और प्रकाश सहित स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छ स्थितियो में रखा जाएगा। इन कार्यों में लगे हुए कार्मिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा और वे किसी संचारी, संसर्गी या संक्रामक रोग से मुक्त होंगे;

(iv) प्राधिकृत पैकर परिसर में पक्के फर्श सहित पर्याप्त भंडारण सुविधाएं होंगी और वह नमी, किसी तरह के कृंतकों और कीटों के उत्पीड़न से मुक्त होगा;

(v) प्राधिकृत पैकर और अनुमोदित रसायनज्ञ, परीक्षण, श्रेणीकरण, पैकिंग, चिह्नांकन, सीलिंग और अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित ऐसे सभी अनुदेशों का पालन करेगा जो अधिनियम के तहत जारी किए जाएंगे ।

अनुसूची-I

(नियम 3 देखें)

(एगमार्क प्रतीक का डिजाइन)

भारत सरकार

CA No.

AGMARK एगमार्क

GOVERNMENT OF INDIA

वस्तु का नाम...

श्रेणी..

अनुसूची–II

(नियम 4 और 5 देखें)

गुठली रहित खजूर का श्रेणी अभिधान और उसकी गुणवत्ता

1. गुठली रहित खजूर की प्राप्ति शुष्क, ठोस व स्वच्छ *फॉयनिक्स डेक्टिलीफेरा लिन.* क़िस्मों की अनुरूपता वाले खजूर के फलों से होगी जिसे मानव खपत हेतु उपयुक्त रूप से उपचारित, धोया हुआ, पाश्च्युराइज्ड अथवा प्रसंस्कृत किया गया हो।

2. न्यूनतम अपेक्षाएं :

(i) गुठली रहित खजूर में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी:-

(क) यह अच्छी तरह साफ किया हुआ होगा;

(ख) इसका रंग एक समान होगा और पूरी तरह से परिपक्व अवस्था में होगा ;

(ग) स्वाद और जायका खजूर की किस्म की विशेषताओं के अनुरूप होगा ;

(घ) किसी विजातीय स्वाद, गंध और खमीरीकरण के प्रभाव से मुक्त होगा;

(ङ.) जीवित, मृत कीटों, कीटों के टुकड़ों, कीट अंडों, कृंतकों, भुकड़ियों तथा संदूषण से मुक्त होगा; तथा

(च) किसी भी तरह के योजित रंजक पदार्थ से मुक्त होगा;

(ii) घरेलू व्यापार के मामले में यह धातु संदूषण, कीट नाशी जीवों और नाशकजीवमारों, संदूषण सूक्ष्म अपेक्षाओं, फसल संदूषकों, प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले विषैले पदार्थों के अवशिष्ट स्तर के संबंध में निर्बंधनों और खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, जीव-विष और अपशिष्ट) विनियम 2011, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य मिश्रण) विनियम, 2011 और खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन घरेलू व्यापार हेतू अधिसूचित अन्य विनियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

(iii) निर्यात व्यापार के मामले में यह भारी धातुओं, कीटनाशी जीवों की अपशिष्ट सीमाओं और कोडेक्स एलिमेटेरियस आयोग द्वारा अधिकथित अन्य खाद्य सुरक्षा मापदंडों निर्यात व्यापार के लिए या आयातकर्ता देश की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

3. गुठली रहित खजूर का श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड

तालिका

श्रेणी अभिधान	नमी का प्रतिशत परिमात्रा के आधार पर (अधिकतम)	विजातीय पदार्थ का प्रतिशत परिमात्रा के आधार पर (अधिकतम)	10 फलों का औसत भार (ग्राम में) (न्यूनतम)	पिट्स (स्टोन्स) (प्रति सौ ग्राम खजूर) (अधिकतम)	धब्बेदार एवं क्षतिग्रस्त खजूर (गिनती के अनुसार प्रतिशत) (अधिकतम)	हाइड्रोक्लोरिकएसिड(तनु) में अघुलनशील राख (परिमात्रा के अनुसार प्रतिशत) (अधिकतम)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
विशेष	14.0	अनुपस्थित	7.0	अनुपस्थित	अनुपस्थित	0.1

मानक	17.0	0.20	6.0	4	2.0	
साधारण	20.0	0.50	4.0		5.0	

स्पष्टीकरण.- इस तालिका के लिए,-

(क) "विजातीय पदार्थ" का अभिप्राय, तनों, खोल के टुकड़ों, गुठलियों, रेशों और छिलकों आदि से है ।

(ख) "धब्बेदार खजूर" का अभिप्राय, सूर्य की झुलसाहट, बदरंगता, सतह पर गहरे दागों से प्रभावित खजूर से है।

(ग) "क्षतिग्रस्त खजूर" का अभिप्राय, मसलने और/अथवा यांत्रिक चोट के कारण गूदे के फटने जिसमें गुठली दिखाई पड़ने लगती है, के कारण प्रभावित खजूर से है। इसके कारण खजूर की बनावट, खाद्य और अनुरक्षण गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होती है अथवा इसके बाह्य स्वरूप में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है ।

4. अन्य अपेक्षाएँ : (i) गुठली रहित खजूर की दशा ऐसी होगी कि वह .-

(क) यातायात और हैंडलिंग आदि की स्थिति का सामना कर सके;

(ख) जिसे अपने गंतव्य स्थान पर संतोषजनक ढंग से पहुंचाया जा सके।

(ii) गुठली रहित खजूर को ठंडे और शुष्क स्थान पर भंडारित किया जाएगा तथा स्वच्छ और स्वास्थ्यजनक स्थिति में रखा जाएगा ।

(iii) गुठली रहित खजूर का वर्गीकरण उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित तालिका के अनुसार किया जाए .-

तालिका

क्रम संख्या	आकार	रों की संख्याग्राम में खजू 500
(1)	(2)	(3)
1	छोटे	से अधिक 100
2	मध्यम	100 से 80
3	बड़े	से कम 80

आकार को पैकेजों पर अंकित किया जाएगा ।

(iv) गुठली रहित खजूर को एक या इससे अधिक संघटकों जैसे शुगर, सुक्रोज़, इनवर्ट शुगर, डेक्स्ट्रोज, शुष्क ग्लूकोज सिरप, फ्लोर, वनस्पति तेल और शहद जो भी उत्पाद के लिए उपयुक्त हो के साथ संसाधित किया जा सकता है ।

अनुसूची–III

(नियम 4 और 5 देखें)

गुठली सहित खजूर का श्रेणी अभिधान और उसकी गुणवत्ता

1. गुठली सहित खजूर की प्राप्ति शुष्क, ठोस व स्वच्छ *फॉयनिक्स डेक्टिलीफेरा लिन.* क़िस्मों की अनुरूपता वाले खजूर के फलों से प्राप्त की जाएगी जिसे मानव खपत हेतु उपयुक्त रूप से उपचारित, धोया हुआ, पाश्र्युराइज्ड अथवा प्रसंस्कृत किया गया हो ।
2. न्यूनतम अपेक्षाएं .-

(i) गुठली सहित खजूर में निम्नलिखित विशेषताएँ होंगी,-

(क) यह अच्छी तरह साफ किया हुआ होगा;

(ख) इसका रंग एक समान होगा और पूरी तरह से परिपक्क अवस्था में होगा ;

(ग) स्वाद और जायका खजूर की किस्म की विशेषताओं के अनुरूप होगा ;

(घ) किसी विजातीय स्वाद, गंध और खमीरीकरण के प्रभाव से मुक्त होगा;

(ड.) जीवित, मृत कीटों, कीटों के टुकड़ों, कीट अंडों, कृंतकों, भुकड़ियों तथा संदूषण से मुक्त होगा; तथा

(च) किसी भी तरह के योजित रंजक पदार्थ से मुक्त होगा ।

(ii) घरेलू व्यापार के मामले में यह धातु संदूषणफ ,संदूषण सूक्ष्म अपेक्षाओं ,कीट नाशी जीवों और नाशकजीवमारों ,सल संदूषकोंस्तर के संबंध में निर्बंधनों और खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले विषैले पदार्थों के अवशिष्ट , 2011 विनियम (विष और अपशिष्ट-जीव ,संदूषक) मानक, खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य) 2011 ,विनियम (मिश्रणऔर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 ,के अधीन घरेलू व्यापार हेतू अधिसूचित अन्य विनियमों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अन्य खाद्य सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

(iii) निर्यात व्यापार के मामले में यह भारी धातुओंकीटनाशी जीवों की अपशिष्ट सीमाओं और कोडेक्स एलिमेटेरियस , आयोगद्वारा अधिकथित अन्य खाद्य सुरक्षा मापदंडों निर्यात व्यापार के लिए या आयातकर्ता देश की अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

3. गुठली सहित का श्रेणी अभिधान के लिए मापदंड

तालिका

श्रेणी अभिधान	नमी का प्रतिशत परिमात्रा के आधार पर (अधिकतम)	विजातीय पदार्थ का प्रतिशत परिमात्रा के आधार पर (अधिकतम)	10 फलों का औसत भार (ग्राम में) (न्यूनतम)	खजूर फलों की संख्या (प्रति पाँच सौ ग्राम) (अधिकतम)	धब्बेदार एवं क्षतिग्रस्त खजूर (गिनती के अनुसार प्रतिशत) (अधिकतम)	हाइड्रोक्लोरिक एसिड(तनु) में अघुलनशील राख (परिमात्रा के अनुसार प्रतिशत) (अधिकतम)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
विशेष	12.0	अनुपस्थित	6.0	70	अनुपस्थित	0.1
मानक	16.0	0.5	5.0	80	2.0	
साधारण	20.0	1.0	4.0	100	5.0	

स्पष्टीकरण :- इस तालिका के लिए

(क) “विजातीय पदार्थ” का अभिप्राय, तनों, खोल के टुकड़ों, गुठलियों, रेशों और छिलकों आदि से है ।

(ख) “धब्बेदार खजूर” का अभिप्राय, सूर्य की झुलसाहट, बदरंगता, सतह पर गहरे दागों से प्रभावित खजूर से है ।

(ग) "क्षतिग्रस्त खजूर" का अभिप्राय, मसलने और/अथवा यांत्रिक चोट के कारण गूदे के फटने जिसमें गुठली दिखाई पड़ने लगती है, के कारण प्रभावित खजूर से है। इसके कारण खजूर की बनाबट, खाद्य और अनुरक्षण गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होती है अथवा इसके बाह्य स्वरूप में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है।

4. अन्य अपेक्षाएँ :- (i) गुठली सहित खजूर की दशा ऐसी होगी कि वह.-

(क) यातायात और हैंडलिंग आदि की स्थिति का सामना कर सके;

(ख) जिसे अपने गंतव्य स्थान पर संतोषजनक ढंग से पहुंचाया जा सके।

(ii) गुठली सहित खजूर को ठंडे और शुष्क स्थान पर भंडारित किया जाएगा तथा स्वच्छ और स्वास्थ्यजनक स्थिति में रखा जाएगा।

(iii) गुठली सहित खजूर का वर्गीकरण उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित तालिका के अनुसार किया जाए.-

तलिका

क्रम संख्या	आकार	ग्राम में खजूरों की संख्या 500
(1)	(2)	(3)
1	छोटे	से अधिक 100
2	मध्यम	100 से 80
3	बड़े	से 80 कम

आकार को पैकेजों पर अंकित किया जाएगा।

(iv) गुठली सहित खजूर को एक या इससे अधिक संघटकों जैसे शुगर, सुक्रोज़, इनवर्ट शुगर, डेक्स्ट्रोज, शुष्क ग्लूकोज सिरप, फ्लोर, वनस्पति तेल और शहद, जो भी उत्पाद के लिए उपयुक्त हो, के साथ संसाधित किया जा सकता है।

[फा. सं. क्यू -11047/03/2018-मानक)

प्रसांत कुमार स्वाईं, संयुक्त सचिव (विपणन)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2020

G.S.R. 23(E).—Whereas, the draft of the Dates Grading and Marking Rules, 2019 was published as required under sub-section (i) of section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) vide notification number G.S.R. 594(E), dated the 20th August, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 23rd August, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within forty-five days from the date on which copies of the Gazette of India containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on 23rd August, 2019;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules within the specified period have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in the exercise of the powers conferred by the section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title, application and commencement.—**(1) These rules may be called the Dates Grading and Marking Rules, 2020.

(2) They shall apply to Pitted Dates and Unpitted Dates obtained from *Phoenix dactylifera Linn.*

(3) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—**(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;

(b) "authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorisation to grade and mark Dates in accordance with the grade standards and procedure prescribed under these rules;

(c) "Certificate of Authorisation" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988 authorising a person or a body of persons to grade and mark Dates with the grade designation mark;

(d) "General Grading and Marking Rules" means the General Grading and Marking Rules, 1988 made under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);

(e) "grade designation mark" means the "AGMARK Insignia" referred to in rule 3;

(f) "Legal Metrology (Packed Commodities) Rules" means the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, made under the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010); and

(g) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 or the General Grading and Marking Rules, shall have the same meaning as are assigned to them under that Act or the rules.

3. **Grade designation mark.—**The grade designation mark shall consist of "AGMARK Insignia" consisting of a design incorporating the certificate of authorisation number, the word "AGMARK", name of commodity and grade designation resembling the design as set out in Schedule- I.

4. **Grade designations.—**The grade designations to indicate the quality of Pitted Dates and Unpitted Dates shall be as set out in column (1) of the Table in Schedule-II and Schedule-III respectively.

5. **Quality.—**For the purposes of these rules, the quality of Pitted Dates and Unpitted Dates shall be as specified in Schedule-II and Schedule-III respectively.

6. **Method of packing.—**(1) Dates shall be packed in new clean and dry jute bags or cloth bags or poly woven bags with inner lining of food grade material or any bio-degradable packaging materials or poly packs of food grade material or any other packaging material as approved by the Agricultural Marketing Adviser or the officer authorised by him under rule 11 of the General Grading and Marking Rules.

(2) The packaging material shall be free from insect and fungal infestation and should not impart any toxic substance or undesirable odour or flavour or colour to the product.

(3) Dates shall be packed in pack sizes in accordance with the provisions of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules or as may be allowed by the Agricultural Marketing Adviser under rule 11 of the General Grading Marking Rules.

(4) Graded material of small pack sizes of the same lot or batch and grade may be packed in a master container with complete details thereon along with grade designation mark.

(5) Each package shall contain Dates of the same type and of the same grade designation.

(6) Each package shall be properly and securely closed and sealed so as to disallow spilling.

7. **Method of Marking and Labeling.—**(1) The grade designation mark shall be securely affixed to or printed on each package in the manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or the officer authorized by under rule 11 of the General Grading and Marking Rules.

(2) In addition to the grade designation mark, following particulars shall be clearly and indelibly marked on each package, namely:-

(a) name of the commodity;

(b) grade;

(c) variety (optional);

(d) lot number;

(e) date of packing;

(f) net weight;

(g) name and address of the packer;

(h) maximum retail price (inclusive of all taxes);

(i) BEST BEFORE__________MONTH______YEAR; and

(j) any other particulars as may be specified under the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, or under the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) or any other law for the time being in force or any instructions issued under the provisions of the Act.

(3) The ink used for marking on packages shall not contaminate the Dates.

(4) The authorised packer may after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or the officer authorized by him under rule 11 of the General Grading and Marking Rules, mark his private trade mark or trade brand on the graded packages provided it does not indicate quality other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.

8. Special conditions of Certificate of Authorization.-(1) In addition to the conditions specified in sub-rule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules every authorised packer shall follow all instructions issued under the provisions of the Act.

(2) The authorised packer shall either set up his own laboratory as per prescribed norms or have access to an approved state grading laboratory or cooperative or association laboratory or a Private Commercial laboratory manned by a qualified chemist approved by the Agricultural Marketing Adviser or the officer authorized by him under rule 9 of the General Grading and Marking Rules, for testing the quality of Dates.

(3) The premises of authorized packer shall be maintained in hygienic and sanitary conditions with proper ventilations and well lighted arrangement and the personnel engaged in these operations shall be in sound health and free from any infectious, contagious or communicable diseases.

(4) The premises of the authorised packer shall have adequate storage facilities with pucca floor and free from dampness, any kind of cracks and crevices, rodent and insect infestation.

(5) The authorised packer and the approved chemist shall observe all instructions regarding testing, grading, packing, marking, sealing and maintenance of records which may be issued under the provisions of the Act.

SCHEDULE-I

(See rule 3)
(Design of AGMARK Insignia)

भारत सरकार
CA No.
AGMARK
एगमार्क
GOVERNMENT OF INDIA

Name of the Commodity…………………………………………
Grade……………………………………………………………

SCHEDULE –II

(See rules 4 and 5)

Grade designation and quality of Pitted Dates

1. Pitted Dates shall be obtained by drying sound, clean fruits of date tree *Phoenix dactylifera Linn.* varieties conforming to the characteristics and maturity of such varieties which may have been suitably treated, washed, pasteurized or processed for human consumption. It is commonly known as Khajoor.

2. Minimum Requirements:

(i) Pitted Dates shall,-

(a) be properly cleaned;

(b) have uniform colour and achieved appropriate stage of maturity;

(c) have pleasant taste and flavour characteristic to the variety;

(d) be free from any foreign taste, odour and evidence of fermentation;

(e) be free from living insects, dead insects, insect fragments, insect eggs, mites, rodent contamination and mould growth; and

(f) be free from any added coloring matter;

(ii) for domestic trade, it shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, insecticides and pesticides residues, microbial requirements, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, the Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011 and other regulations made for domestic trade under the Food Safety and Standards Act, 2006.

(iii) for export trade, it shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirements for export trade.

3. Criteria for grade designation of Pitted Dates.-

TABLE

Grade Designation	Moisture, (percent by mass) (Maximum)	Extraneous matter, (percent by mass) (Maximum)	Average weight of 10 fruits, (in Grams) (Minimum)	Pits (Stones) (per 100 Dates) (Maximum	Blemished and damaged Dates, (percent by count) (Maximum)	Ash insoluble in dilute HCl*, (percent by mass) (Maximum)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Special	14.0	Absent	7.0	Absent	Absent	0.1
Standard	17.0	0.20	6.0	4	2.0	
General	20.0	0.50	4.0		5.0	

*HCl: Hydro Chloric Acid

Explanations.- For the purposes of this TABLE,-

(a) “Extraneous matter” means stalks, pieces of shells, pits, fiber, peel, and such other matters;

(b) “Blemished Dates” mean Dates affected by sunburn, discoloration, dark spots on the surface;

(c) "Damaged Dates" mean Dates affected by mashing or tearing of the flesh exposing the pit due to mechanical injury which seriously affects the appearance, edibility and keeping quality or significantly changing the appearance.

4. Other requirements.- (i) The condition of the Pitted Dates shall be such as to enable it to-

(a) withstand transport and handling;
(b) arrive in satisfactory condition at the place of destination.

(ii) Pitted Dates shall be stored in cool and dry place, maintained in a clean and hygienic condition;

(iii) Pitted Dates may be classified on the basis of their size in accordance with the following table, namely:-

TABLE:

Sr. No.	Size	No. of Dates in 500 grams
(1)	(2)	(3)
1.	Small	More than 100
2.	Medium	80 to 100
3.	Large	Less than 80

The size may be marked on the packages.

(iv) Pitted Dates may be treated with one or more of the ingredients such as Sugar, sucrose, invert sugar, dextrose, dried glucose syrup, flour, vegetable oil and honey, as may be appropriate to the product.

SCHEDULE –III

(See rules 4 and 5)

Grade designation and quality of Unpitted Dates

1. Unpitted Dates shall be obtained by drying sound, clean fruits of date tree *Phoenix dactylifera Linn.* varieties conforming to the characteristics of which may have been suitably treated, washed, pasteurized or processed for human consumption. It is commonly known as Khajoor.

2. Minimum Requirements.-

(i) Unpitted Dates with seed shall,-

(a) be properly cleaned;

(b) have uniform colour and achieved appropriate stage of maturity;

(c) have pleasant taste and flavor characteristic to the variety;

(d) be free from any foreign taste, odour and evidence of fermentation;

(e) be free from living insects, dead insects, insect fragments, mites, rodent contamination and mould growth; and

(f) be free from any added coloring matter;

(ii) for domestic trade, it shall comply with the restrictions in regard to residual levels of metal contaminants, insecticides and pesticides residues, microbial requirements, crop contaminants, naturally occurring toxic substances and other food safety requirements as specified under the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, the Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011 and other regulations made for domestic trade under the Food Safety and Standards Act, 2006;

(iii) for export trade, it shall comply with the residual limits of heavy metals, pesticides and other food safety requirements as laid down by the Codex Alimentarius Commission, or importing countries requirements for export trade.

3. Criteria for grade designation of Unpitted Dates.-

TABLE

Grade Designation	Moisture, (percent by mass) (Maximum)	Extraneous matter, (percent by mass) (Maximum)	Average weight of 10 fruits (in Grams) (Minimum)	Number of Fruits (per 500 gm) (Maximum)	Blemished and damaged Dates, (percent by count) (Maximum)	Ash insoluble in dilute HCl*, (percent by mass) (Maximum)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Special	12.0	Absent	6.0	70	Absent	0.1
Standard	16. 0	0.5	5.0	80	2.0	
General	20.0	1.0	4.0	100	5.0	

*HCl: Hydro Chloric Acid

Explanation.- For the purposes of this TABLE,-

(a) "Extraneous matter" means stalks, pieces of shells, pits, fibre, peel, and such other matters;

(b) "Blemished Dates" mean Dates affected by sunburn, discoloration, dark spots on the surface;

(c) "Damaged Dates" mean Dates affected by mashing or tearing of the flesh exposing the pit due to mechanical injury which seriously affects the appearance, edibility and keeping quality or significantly changing the appearance.

4. Other requirements.-(i) the condition of the Unpitted Dates shall be such as to enable it to-

(a) withstand transport and handling;

(b) arrive in satisfactory condition at the place of destination;

(ii) Unpitted Dates with seed shall be stored in cool and dry place, maintained in a clean and hygienic condition.

(iii) Unpitted Dates may be classified on the basis of their size in accordance with the following table, namely:-

TABLE

Sr. No.	Size	No. of Dates in 500 grams
(1)	(2)	(3)
1.	Small	More than 100
2.	Medium	80 to 100
3.	Large	Less than 80

The size may be marked on the packages.

(iv) Unpitted Dates may be treated with one or more of the ingredients such as sugar, sucrose, invert sugar, dextrose, dried glucose syrup, flour, vegetable oil and honey, as may be appropriate to the product.

[F. No. Q-11047/03/2018-Std]

PRASANTA KUMAR SWAIN, Jt. Secy. (Marketing)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.15 17:26:51 +05'30'